न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 10 / 2013 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. शम्भू पिता स्वर्गीय श्री होमीया मईडा, जाति भील, निवासी तेजपुर, मजरा पीपलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. भेमराज पिता स्वर्गीय श्री होमीया मईडा, जाति भील, निवासी तेजपुर, मजरा पीपलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रमेश पिता स्वर्गीय श्री हकरू मईडा, जाति भील, निवासी तेजपुर, मजरा पीपलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती भूलकी बेवा स्व0 श्री हकरू मईडा, जाति भील, निवासी तेजपुर, मजरा पीपलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. जोकिया पिता स्वर्गीय श्री थावरा मईडा, जाति भील, निवासी तेजपुर, मजरा पीपलीपाड़ा, तहसील छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती कमतु पत्नी श्री नानका पुत्री स्वर्गीय श्री लालीया, जाति भील, निवासी ग्राम गोरछा (भूंगड़ा) तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. भूमिधारी तहसीलदार, छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223– राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं
डिक्री उपखण्ड अधिकारी छोटी सरवन
दिनांक 20.06.2013 प्र0सं0 75 / 2002

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री अब्दुल बहाव अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री मुकेश द्विवेदी अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 11–04–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट / वादीगण द्वारा रेस्पोन्डेन्ट / प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित अुनसार कुल किता 13 रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा भूमि ग्राम तेजपुर में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमियों में वादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादी संख्या 3 के दादा, वादी संख्या 4 के ससुर होमीया व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता लालीया व होमिया पिता देवा का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा दर्ज होकर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बाहमी बंटवाड़ा होकर पक्षकार इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु भूमियों का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतएवं उपरोक्तानुसार भूमियों का विभाजन किया जाकर वादीगण को विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता थावरा पिता देवा के खाता संख्या 22 के कुल खसरा नंबर 9 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम घोड़ी तेजपुर में स्थित है, जिसके प्रतिवादी संख्या 1 एक मात्र खातेदार कृषक होकर काबिज है तथा उक्त चरण में बताये शेष आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 संयुक्त रूप से काबिज होकर लगान अदा करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता का स्वर्गवास छोटी उम्र में हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के पैत्रृक खाते की भूमि को संयुक्त रूप से शामिल कर लिया गया है, जो गैर कानूनी होकर निरस्त योग्य है। काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता थावरा के खाता संख्या 22 कुल खेत 9 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि ग्राम घोडी तेजपुर में स्थित है, जिसके एक मात्र प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार होकर काबिज हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने नाजायज तौर पर बदनियति से प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की उक्त भूमि को शामिल करवा कर कृषि भूमि हड़प लेना चाहते हैं। अतएवं खाता संख्या 22 कुल खेत 9 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के काउण्टर क्लेम का वादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिदावा के चरण 8 के तथ्य असत्य हैं, प्रतिवादी ने कृषि भूमियां ग्राम घोडी तेजपुर में होना बताया है, जबकि

वादीगण की कृषि भूमि तेजपुर में हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावे की चरण संख्या 8 में बतायी गयी भूमियों से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा नहीं है, न ही प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार की तारीफ में आता है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मिथ्या भूमि को अपनी एकल होना बताया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 विभाजन के वाद को अनावश्यक विलम्बित करना चाहता है। अतएवं काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार कुल 5 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया ग्राम तेजपुर के खाता संख्या 148 नया 22 पुराना के कुल खेत 13 रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त नाम से खातेदारी में दर्ज है तथा अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है ? ..... वादीगण
2. आया प्रतिवादीगण ने दिनांक 08–05–2009 को बंटवाड़ा करने से इंकार करने पर बिनाय दावा उत्पन्न हुआ ? ..... वादीगण
3. आया वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 मात्र खातेदार होकर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 की छोटी उम्र में पिता की मृत्यु हो जाने से वादीगण ने अपने नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज करा दी है ?.....प्रतिवादी
4. आया प्रतिवादी संख्या 1 के पिता थावरा पिता देवा खाता संख्या 22 सन् 1915 व 1916 में एक मात्र खातेदार होने से प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जावे ? ..... प्रतिवादी
5. दादरसी ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 20–06–2013 को तनकीवार विवेचन करते हुए विवादित कुल आराजियात 13 रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा भूमि में 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि जोकिया वल्द थावरा की छोडते हुए शेष भूमि में जोकिया पिता थावरा का 1/3 हिस्सा, कमतु पुत्री ललिया का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 19–07–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि खाता संख्या 148 के कुल खेत 13 रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा ग्राम तेजपुर में स्थित होकर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी की है एवं करी 20–22 वर्ष पूर्व आपसी बंटवाड़े अनुसार मौके पर अपने–अपने भाग पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमियों में वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने 50 बीघा 7 बिस्वा में 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में अकेले छोड़ते हुए शेष भूमियों में पक्षकारों का 1/3 हिस्से की डिक्री पारित कर तनकी नंबर 1 आंशिक रूप से ही वादीगण के पक्ष में निर्णित करने में भूल की है। इसी प्रकार तनकी नंबर 2 भी वादीगण के पक्ष में आंशिक निर्णित करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है तथा तनकी नंबर 3 रेस्पोन्डेन्ट के हम में निर्णित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश किये गये प्रदर्श ए–2 में पर्चा खतौनी तथा संवत 1915–1916 में थावरा पिता देवा को एक मात्र खातेदार होना मानकर तनकी नंबर 4 का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में करने में भूल की है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 प्रदर्श में समस्त

भूमि किता 13 रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा वादीगण के वाद पत्र अनुसार पक्षकारान की हस्ब विवरण के हिस्से से दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी संवत 2008 प्रदर्श 2 में भी उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 जोकिया के 1/3 हिस्से से दर्ज है। चालू जमाबन्दी तथा सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी दोनों ग्राम तेजपुर की हैं। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पेश शुदा खतौनी सन् 2015 व 2016 में आराजी नंबर 825, 828, 1064, 761, 778, 829, 1021, 1097 व 1397 कुल किता 9 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि थावरा यानि जोकीया प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज है। तहसीलदार द्वारा प्रकरण में दिनांक 26–09–2013 को दी गयी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम तेजपुर पटवार मण्डल घोडी तेजपुर में आता है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–2 पेश की है, जिसमें विवादित 50 बीघा 7 बिस्वा भूमियां पर्चा खतौनी में दर्ज हुई हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 का निर्णय करते समय आराजियात कुल किता 13 रकबा 50 बीघा 7 बिस्वा को पक्षकारान की संयुक्त होना माना है, परन्तु सन् 2015–16 में ग्राम तेजपुर के खाता संख्या 22 में आराजी नंबर 825, 828, 1064, 761, 778, 829, 1021, 1097 व 1397 कुल किता 9 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा को थावरा अकेले की खातेदारी की मान ली है।

प्रकरण में आश्चर्य जनक रूप से विवादित आराजियात में उक्त आराजियात शामिल नहीं है तथा उक्त आराजियात का जो कि कुल किता 9 रकबा 26 बीघा 2 बिस्वा है, वह भूमि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि का भाग माने जाने के लिए कोई मिलान क्षेत्रफल भी पेश नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आश्चर्य जनक रूप से उपरोक्त खाते की 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि जो कि विवादित आराजियात से असंबंधित भूमि है, उसे संयुक्त आराजियात के बंटवाड़े की भूमि को अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खातेदार की मानने का निर्णय साक्ष्यों से पृथक जाकर किया है, हालांकि उक्त 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 थावरा के एकल खातेदारी की हैं। अतएवं अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह उपयुक्त था कि रेस्पोन्डेन्ट/ प्रतिवादी संख्या 1 के काउण्टर क्लेम के सन्दर्भ में उक्त 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि को यदि संयुक्त खातेदारी की विवादित 50 बीघा 7 बिस्वा भूमि में शामिल मानते हैं तो उन्हें इस हेतु उचित साक्ष्यों का परीक्षण करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी नंबर 50 बीघा 7 बिस्वा जो

पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की है, उसमें बिना किसी साक्ष्य के प्रतिवादी संख्या 1 के खाते की 26 बीघा 2 बिस्वा भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के काउण्टर क्लेम के आधार पर शामिल मान लिया जो स्पष्टतया साक्ष्यों के अभाव में किया गया निर्णय है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही उपलब्ध साक्ष्यों से असंप्रक्त होकर त्रुटि पूर्ण निर्णय है तथा साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किये बिना पारित किया गया निर्णय है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय, स्थापित विधिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–06–2013 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के काउण्टर क्लेम में वर्णित भूमियों को थावरा एकल की भूमियां होने तथा उन्हें विवादित भूमियों में शामिल किये जाने बाबत् उभयपक्षों को पुनः साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर तथा सनुकर तनकीवार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–06–2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**59 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **छोटी सरवन** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**22**.....माह.....**07**.....**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**22**....माह.....**10**.....सन् **2016** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री नन्दलाल पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**22**.....माह.....**10**.....**2016** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।